

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION
KOLKATA REGIONAL OFFICE



"Converted to NBFC-MFI w.e.f. 10.01.2014"

"दिनांक 10.01.14 से एन.बी.एफ.सी. - एफ.एफ.आई. में परिवर्तित"

N. K. Sahu

N. K. Sahu
General Manager
R. B. I., DNBS, Kolkata

पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या

B.05.02932

No.

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

आरोहन फिनान्शियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड को

(पूर्व नाम आरोहन फिनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड)

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने / करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

AROHAN FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

(FORMERLY AROHAN FINANCIAL SERVICES LIMITED)
is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन

कोलकाता में

दो हजार

ग्यारह के

मई
की

सोलह

तारीख को जारी किया गया।

this

Sixteenth

Given under my hand at

day of

May

Kolkata

Two Thousand

Eleven



In lieu of Cert. No.B.05.02932

dated 08.07.2009 issued

by RBI Kolkata R.O.

General Manager / Deputy General Manager

एन. के. साह N.K. SAHU
(महा प्रबंधक / महा प्रबंधक)